

//आदेश//

उपरोक्त विषयांतर्गत संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्रमांक 1748/स्था/अराज/2020 दिनांक 16.12.2020 के द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त गैर शैक्षणिक पदों की अनुमोदित अनुसूची प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरने हेतु संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 572/स्था/अराज/2021 दिनांक 15.06.2021 एवं आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 5284/विकास/2/2021 दिनांक 24.06.2021, कार्यालयीन भर्ती सूचना क्रमांक 16143/एमसी/अराज-5/दिनांक 07.05.2021 एवं पत्र क्रमांक 15187-89/ एमसी/अराज-5/2021 दिनांक 29.05.2021 तथा पत्र क्रमांक 3295-97/एमसी/ अराज/5/2021 दिनांक 18.06.2021 के तहत रिक्त पद भृत्य के सीधी भर्ती हेतु एमपीऑनलाइन द्वारा उपरोक्त रिक्त पदों को भरे जाने हेतु परीक्षा आयोजित कर परिणाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को भेजा गया था, जिसके आधार पर चयनित उम्मीदवार को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की स्थापना में रिक्त भृत्य के पद के विरुद्ध विज्ञापन शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान कर आपकी पदस्थापना गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के संबंधित पदस्थापना स्थल पर की जाकर निर्देशित की जाता है विभाग में उपस्थिति की एक प्रति विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें।

पदनाम-भृत्य संवर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग

क्रं.	नाम	पिता का नाम	निवास	पदस्थापना स्थल
1	SUBHASH	RAMDAYAL RAJAK	SAGAR	आवक शाखा
2	SHUBHAM NAMDEO	KRISHAN NAMDEO	JABALPUR	जावक शाखा
3	GULSHAN KUMAR KUSHWAH	UMESH SINGH KUSHWAH	HARDA	लेखाशाखा
4	HARIKESH KURMI	SITARAM KURMI	DAMOH	राजपत्रित शाखा क्रमांक-4
5	UMASHANKAR	TOPLAL	BALAGHAT	बर्न एण्ड प्लास्टिक सर्जरी विभाग
6	SUNIL KUMAR RAIKWAR	HAR CHARAN RAIKWAR	TIKAMGARH	एम.डी.आर.यू. बायोकेमिस्ट्री विभाग
7	HEMANT MALAKAR	SURESH MALAKAR	RAJGARH	सूचना का अधिकार
8	MADHUR TAMARKAR	SANTOSH TAMARKAR	SAGAR	बाल्य एवं शिशु रोग विभाग
9	ASHEESH KUMAR KUSHWAHA	RAJ KUMAR KUSHWAHA	SATNA	माइक्रोबायोलॉजी विभाग
10	DEEPAK	SHIVCHARAN	SIHORE	अराजपत्रित शाखा क्रमांक-5

पदनाम-भृत्य संवर्ग-आर्थिक रूप से कमजोर

क्रं.	नाम	पिता का नाम	निवास	पदस्थापना स्थल
1	SACHIN SHRIVASTAVA	RAJENDRA SHRIVASTAVA	VIDISHA	केन्द्रीय भण्डार स्टोर
2	KARTIK SINGH RAJPUT	SURYABHAN SINGH	DAMOH	कार्डियोलॉजी विभाग
3	NAVEEN CHOUBEY	DAYASHANKAR	NARSINGHPUR	सेन्ट्रल लायब्रेरी
4	OMKAR GUPTA	SURESH KUMAR GUPTA	JABALPUR	क्रय शाखा

नियुक्ति की शर्त:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, यह नियुक्ति मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय आदर्श सेवा नियम 2018 (गैर शैक्षणिक संवर्ग) के तहत इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी।
- चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
- उक्त नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपये 10,000/- प्रतिमाह पर की जाती है।
- तीन माह पश्चात गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों की कार्य मूल्यांकन एवं कार्य संतोषजनक होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12-12-2019 के बिन्दु (v) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम 1961 के नियम 8 (1)के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

5. यह नियुक्ति इस शर्त पर प्रदान की जाती है, कि यदि कोई त्रुटि/कमी पाई गई तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।
6. गैर शैक्षणिक स्टाफ को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल (म.प्र.) में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
7. चयनित प्रत्याशी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर (शासकीय कार्य दिवस में) कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
8. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
9. चिकित्सा महाविद्यालय के सविलियन एवं संवर्धन नियमों के अंतर्गत स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करते समय उपस्थित प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं.एफ-7-2/96/आप्र/1 दिनांक 01.08.96 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
12. चयनित प्रत्याशी को आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
13. चयनित प्रत्याशी की सेवाएं किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति एक माह तक का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा। भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
14. चयनित प्रत्याशी म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे। संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनीतिक अथवा किसी भी प्रतिबंधित गतिविधियों एवं हड़ताल आदि में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी एवं संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
15. नियुक्ति व्यक्ति को 100/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
16. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
17. नियुक्ति व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
18. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
20. इस नियुक्ति में आरक्षण के प्रावधानों का समायोजन आरक्षण रोस्टर अनुमोदन के उपरान्त रोस्टर अनुसार किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार को तीन माह में किसी भी प्रकार अवकाश की पात्रता नहीं होगी एवं आकस्मिक स्थिति के दौरान बिना पूर्व स्वीकृति एवं अनुमति के छुट्टी पर न जा सकेगा।
22. चयनित उम्मीदवार इस संस्था के अन्तर्गत कार्य करते हुए किसी अन्य संस्था में रोजगार के लिये सीधे आवेदन नहीं दे सकते हैं।
23. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा मध्यप्रदेश शासन के अन्य नियम लागू होंगे।

(3)

24. मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-9/3/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनोंक 2-4-2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
25. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के उप नियम (6) जिसमें प्रावधान अनुसार 26 जनवरी 2001 के बाद दो बच्चों से अधिक होने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही समाप्त माना जावेगा।
26. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 41143-77 / एम.सी. / अराज / 5 / 21
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 15/12/2021

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सभांगायुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, माईक्रोबायोलॉजी विभाग/बर्न एण्ड प्लास्टिक विभाग/बाल्य एवं शिशु रोग विभाग/कार्डियोलॉजी विभाग/बायोकेमिस्ट्री विभाग, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
8. अध्यक्ष, सेन्ट्रल लायब्रेरी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की जांच उपरान्त कार्यभार ग्रहण कराये तथा उपस्थिति की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
9. प्रभारी अधिकारी, राजपत्रित शाखा क्रमांक-4/अराजपत्रित शाखा क्रमांक-5/लेखाशाखा/क्रय शाखा/केन्द्रीय भण्डार/आवक/जावक/सूचना का अधिकार शाखा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
11. श्री पदनाम गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. आदेश नस्ति / व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल